"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी 2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण)
## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 521] रायपुर, सोमवार, दिनांक 4 अक्टूबर 2021 — आश्विन 12, शक 1943

संस्कृति विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनाक 4 सितम्बर 2021

संशोधित अधिसूचना

क्रमाक एफ 1—03/2020/30/सं.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के खण्ड (2) और (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियो को प्रयोग मे लाते हुए छत्तीसगढ़ के राज्यपाल एतदद्वारा, "छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद गठित करने के विभागीय अधिसूचना क्र. एफ 1—03/2020/30/सं. दिनांक 27—10—2020" में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात:—

1. उक्त अधिसूचना के कंडिका 03 के बिन्दु क्रमांक 3.1, सरल क्रमांक 07 में साहित्य अकादमी में अध्यक्ष अंतःस्थापित किया जाता है एव 08 सदस्य के स्थान पर 09 प्रतिस्थापित किया जाता है.

2. उक्त अधिसूचना के कंडिका 3.2.1 मे मानदेय राशि रू. 75,000/— प्रतिमाह के स्थान पर राशि रू. 1,00,000/— प्रतिमाह प्रतिस्थापित किया जाता है एव वाहन भत्ते के रूप में राशि रू. 50,000/— प्रतिमाह अंतःस्थापित किया जाता है.

3. उक्त अधिसूचना के कंडिका 3.2.1 में अधोलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाता है—

"राज्य की समग्र साहित्यक परपरा और गतिविधियों से संबंधित कार्य के लिए साहित्य अकादमी की स्थापना की गई है. इस अकादमी के अध्यक्ष के लिए मानदेय राशि रू. 1,00,000/— प्रतिमाह होगा. अध्यक्ष के कार्यों के लिए सहयोगी सचालनालय संस्कृति एव पुरातत्व द्वारा प्रदाय किया जावेगा. वाहन भत्ते के रूप में रुपये 50,000/—प्रतिमाह निर्धारित होगा.

4. उक्त अधिसूचना के कंडिका 3.2.2 में वाहन भत्ते के रूप में राशि रू. 50,000/— प्रतिमाह अंतःस्थापित किया जाता है.

5. उक्त अधिसूचना के कंडिका 3.2.3 में प्रथम वाक्य की निरंतरता में अधोलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाता है—

"एव लोक कलाओं से संबंधित साहित्य को संकलित/प्रकाशित करना लोक कला मंडलियों की सूची तैयार कर पंजीयन करना, मंडलियों को वाद्ययंत्र एव अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराना, विकासखंड स्तरीय जिला एव राज्य स्तरीय प्रतिस्पर्धा का आयोजन करना, उत्कृष्ट कलाकारों को मानदेय उपलब्ध कराना, लोक कला के प्रशिक्षण हेतु संस्थानों की स्थापना, अन्य राज्यों के लोक कलाओं पर राज्य की लोक कलाओं के साथ आदान प्रदान करना, लोक कलाओं का प्रचार प्रसार करना, राज्य के पुरातत्वीय एव सांस्कृतिक धरोहरों वाले स्थानों पर वार्षिक महोत्सव का आयोजन करना, लोक कलाओं के सरक्षण/संवर्धन हेतु शासन को सुझाव देना."

6. उक्त कंडिका 3.2.3 में वाहन भत्ते के रूप में राशि रू. 50,000/–प्रतिमाह अंतःस्थापित किया जाता है.

7. उक्त अधिसूचना के कंडिका 3.2.6 में मानदेय राशि रू. 75,000/– के स्थान पर राशि रू. 1,00,000/–प्रतिस्थापित किया जाता है एवं वाहन भत्ते के रूप में राशि रू. 50,000/– प्रतिमाह अंतःस्थापित किया जाता है.

8. तदनुसार अधिसूचना के अंत में 'प्रभागों में होने वाले व्यय अनुमानिक' निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है–

प्रभागों में होने वाले व्यय हेतु अनुमानिक

| क्र. | प्रभाग | मद | राशि | कुल |
|---|---|---|---|---|
| 01 | साहित्य अकादमी अध्यक्ष | मानदेय<br>वाहन भत्ता | 1,00,000×12=12,00,000<br>50,000×12=6,00,000 | 12 लाख (मानदेय)<br>6 लाख (वाहन) |
| | (क) पदुमलाल पुन्नालाल बख्शीपीठ<br>(ख) श्रीकांत वर्मा पीठ<br>(ग) गुरू घासीदास शोध पीठ | मानदेय<br>अतिरिक्त भत्ता किराया, रख रखाव | 1,00,000×3×12=36,00,000<br>15,000×3×12=540,000<br>10,000×3×12=360,000 | 45 लाख |
| 02 | कला अकादमी | मानदेय अतिरिक्त व्यय<br>वाहन भत्ता | 1,00,000×12=12,00,000<br>विभागीय बजट से<br>50,000×12=6,00,000 | 12 लाख (मानदेय)<br>6 लाख (वाहन) |
| 03 | आदिवासी एवं लोक कला अकादमी | मानदेय<br>अतिरिक्त व्यय<br>वाहन भत्ता | 1,00,000×12=12,00,000<br>विभागीय बजट से<br>50,000×12=6,00,000 | 12 लाख (मानदेय)<br>6 लाख (वाहन) |
| 04 | छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम | मानदेय<br>अतिरिक्त व्यय | 1,00,000×12=12,00,000<br>विभागीय बजट से | 12 लाख (मानदेय) |
| 05 | छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग | मानदेय (अध्यक्ष)<br>अतिरिक्त व्यय | 1,00,000×12=12,00,000<br>विभागीय बजट से | 12 लाख (मानदेय) |
| 06 | छत्तीसगढ़ सिंधी अकादमी | मानदेय (अध्यक्ष)<br>अतिरिक्त भत्ता किराया, रख रखाव<br>वाहन भत्ता | 100,000×12=12,00,000<br>15,000×2×12=3,60,000<br>10,000×2×12=2,40,000<br>विभागीय बजट से<br>50,000×12=6,00,000 | 18 लाख<br>6 लाख (वाहन) |

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**अन्बलगन पी.**, सचिव.